

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/07/2008-अ.भा.से.-111

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 23 जनवरी, 2014

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, 2004 बैच की कर्नाटक संवर्ग की भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य सुश्री सी शिखा को 06.09.2006 से स्थायी करते हैं :

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)